भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 917

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यायाधीशों के लिए आरक्षण**

**917. श्री रोनाल्ड सपा लाउ :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्चतम न्यायालय जैसे प्रतिष्ठित स्थानों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदि जैसे पात्र/योग्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदान करने को इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, आदि के कितने न्यायाधीश हैं ;

(ग) आज की तारीख के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने पद रिक्त हैं ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति आरै अनसूचित जनजाति वर्गों से सबंधित न्यायाधीशों के लिए और अधिक पद बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** उच्चतम न्यायालय में तारीख 18.12.2017 को छह रिक्तियां हैं । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन की जाती है । अनुच्छेद, किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं करता है । अतः, न्यायाधीशों का किसी जाति या वर्ग-वार आंकड़ा नहीं रखा जाता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*